HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकःप.7(7)एचजेयू/सीई/परीक्षा/2020/4359 दिनांक : 21-09-2020

आदेश

विश्वविद्यालय में पी.जी.डिप्लोमा (एसएमडब्लूजे) अंतिम सैमेस्टर परीक्षा, 2020 का आयोजन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार (प्रति संलग्न) परीक्षाओं की वैधानिकता एवं विश्वसनीयता बरकरार रखने हेतु ऑनलाइन पद्धति के बजाय ऑफ लाइन पद्धति से पूर्व की भाँति दिनांक 24.09.2020 से किया जा रहा है।

उक्त परीक्षा के संबंध में कतिपय परीक्षार्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र उम्र, स्वास्थ्य, दूरी का हवाला देते हुए ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है तथा कुछ परीक्षार्थियों ने परीक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार 30 सितम्बर, 2020 तक अंतिम सैमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने, राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 11.09.2020 के अनुसार ऑफलाइन परीक्षाएँ आयोजित करने तथा परीक्षाओं की विश्वसनीयता बरकरार रखने के विश्वविद्यालय के प्रयासों के मद्देनज़र उपर्युक्त परीक्षा आयोजन बाबत विश्वविद्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4291 दिनांक 16.09.2020 में किसी भी प्रकार का संशोधन विधिसंगत नहीं है।

उक्त परीक्षाओं में कोविड–19 संक्रमण की परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों के युक्तियुक्त कारणों का गहनता से विश्लेषण करने के उपरान्त राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 11.09.2020 के अनुसार उनके लिए पृथक से विशेष परीक्षा यथाअवसर पर आयोजित की जाएगी।

अतः विश्वविद्यालय के पीजी डिप्लोमा (एसएमडब्लूजे) द्वितीय सैमेस्टर के सभी परीक्षार्थी एवं अभ्यावेदनकर्त्ता सूचित हों।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अशोक कुमार शर्मा)
आरएएस
कुलसचिव

क्रमांकःप.5(15)एचजेयू/जीएडी/विविध/2020/4360–4369 दिनांक : 21-09-2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:

1. निजी सहायक, कुलपति महोदय, एचजेयू, जयपुर
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

3. परीक्षा नियंत्रक/अकादमिक समन्वयक, एचजेयू, जयपुर
4. उप कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर
5. निदेशक, शैक्षणिक परिसर, एचजेयू, जयपुर
6. समन्वयक, शोध, एचजेयू, जयपुर
7. समस्त विभाग प्रभारी
8. श्री कैलाश गुप्ता को उनके अभ्यावेदन एवं दूरभाष पर उपलब्ध करवाए गए विकल्पों को अस्वीकार करने के संदर्भ में।
9. परीक्षार्थी संतोष सोनी को उनके अभ्यावेदन के संबंध में।
10. परीक्षार्थी सोनम निराला को उनके अभ्यावेदन के संबंध में।
11. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (7)/शिक्षा-4/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 11.09.2020

1. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
4. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
9. कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
10. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
11. कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. कुलपति, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
13. कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. प्रेसिडेन्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
15. कुलसचिवगण, समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय, राजस्थान।

विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2020 एवं यूजीसी दिशानिर्देश के अनुसरण मे विश्वविद्यालयों की सत्र 2019-20 की अंतिम वर्ष की बकाया परीक्षायें आयोजित करने बाबत्।

सदर्भः- विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 03.09.2020 एवं 8.9.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के कम में लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2020 एवं यूजीसी दिशानिर्देश के अनुसरण में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन पूर्व की भांति ऑफलाईन करवाया जा रहा है ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे तथा जारी की जाने वाली डिग्रीयों की वैधानिकता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगे। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय विद्यार्थियों के व्यापक हित व अकादमिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

कोविड-19 की विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत यदि कोई विद्यार्थी परीक्षाओं में किसी भी कारण से सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा उनके लिये एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाए जिससे कोई भी विद्यार्थी परीक्षाओं से वंचित नहीं रहे।

भवदीया,

(शुचि शर्मा)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा